

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :283/2021

वादीगण-

1. लोकेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह, जाति-राजपूत निवासी-जालनियासर, तहसील जायल।


बनाम

प्रतिवादीगण -

1. कल्याणसिंह पुत्र सांवतसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. बबलूसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याण, जातियान-राजपूत निवासीगण-जालनियासर-तहसील जायल।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 28/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बड़ेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जालनियासर तहसील जायल में खेत खसरा नं. 163 रकबा 0.0324 हैक्टेर, खसरा नं. 184 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा नं. 188 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नं. 194 रकबा 7.8671 हैक्टेयर, खसरा नं. 195 रकबा 6.5235 हैक्टेयर, खसरा नं. 34 रकबा 9.6234 हैक्टेयर, खसरा नं. 34/291 रकबा 2.8814 हैक्टेयर, खसरा नं. 65 रकबा 3.0756 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1655 हैक्टेयर, खसरा नं. 920/845 रकबा 1.2545 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खेताय जो वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुस्तैनी बड़ेर की भूमि होने से वादी का हक अधिकार रहता रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से व जन्म से हक अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।


28/12/2021
सहायक कलेक्टर
(प.स.डी.ओ.) जायल

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 06.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत जालनियासर में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह लोकेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह, कल्याणसिंह पुत्र सांवतसिंह के पेश हुवे, नकल जमाबन्दी ग्राम जालनियासर तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 301 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी


सहायक कलक्टर
(प.डी.ओ.) जायल

सहमति के अनुसार सहखातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काशत होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जालनियासर के वादग्रस्त खेतों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतों में पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा खेत खसरा नं. 163 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नं. 184 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा नं. 188 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नं. 194 रकबा 7.8671 हैक्टेयर, खसरा नं. 195 रकबा 6.5235 हैक्टेयर, खसरा नं. 34 रकबा 9.6234 हैक्टेयर, खसरा नं. 34/291 रकबा 2.8814 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1655 हैक्टेयर, खसरा नं. 920/845 रकबा 1.2545 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदारी की इस्तदुआ चाही है। अतः मौजा जालनियासर के खेत खसरा नंबर खेत खसरा नं. 163 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नं. 184 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा नं. 188 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नं. 194 रकबा 7.8671 हैक्टेयर, खसरा नं. 195 रकबा 6.5235 हैक्टेयर, खसरा नं. 34 रकबा 9.6234 हैक्टेयर, खसरा नं. 34/291 रकबा 2.8814 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1655 हैक्टेयर, खसरा नं. 920/845 रकबा 1.2545 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणसिंह पुत्र सावंतसिंह के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा जालनियासर के खेत खसरा नंबर खेत खसरा नं. 163 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नं. 184 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा नं. 188 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नं. 194 रकबा 7.8671 हैक्टेयर, खसरा नं. 195 रकबा 6.5235 हैक्टेयर, खसरा नं. 34 रकबा 9.6234 हैक्टेयर, खसरा नं. 34/291 रकबा 2.8814 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1655 हैक्टेयर, खसरा नं. 920/845 रकबा 1.2545 हैक्टेयर में वादी लोकेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कश्तः भंवरसिंह, बबलूसिंह, नरेन्द्रसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया



28/12/2021
(रवीन्द्रकुमार)
सहायक न्यायाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :283/2021

वादीगण-

1. लोकेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह, जाति-राजपूत निवासी-जालनियासर, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. कल्याणसिंह पुत्र सांवतसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. बबलूसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याण, जातियान-राजपूत निवासीगण-जालनियासर, तहसील जायल।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा जालनियासर के खेत खसरा नंबर खेत खसरा नं. 163 रकबा 0.0324 हैक्टेर, खसरा नं. 184 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा नं. 188 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नं. 194 रकबा 7.8671 हैक्टेयर, खसरा नं. 195 रकबा 6.5235 हैक्टेयर, खसरा नं. 34 रकबा 9.6234 हैक्टेयर, खसरा नं. 34/291 रकबा 2.8814 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नं. 814/65 रकबा 0.1655 हैक्टेयर, खसरा नं. 920/845 रकबा 1.2545 हैक्टेयर में वादी लोकेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कमशः भंवरसिंह, बबलूसिंह, नरेन्द्रसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणसिंह के साथ सहखातेदार रूकित किया जाता है।
2. इंडियन बैंक के रहन खसरा नंबर 65 यथावत सम्पूर्ण प्रतिवादी कल्याणसिंह के रहेगा।




(रवीन्द्र कुमार कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी
जायल- (नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...28/12/2021... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।


 (रवीन्द्रसिंह) सहायक कलेक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 जायल (नागौर)